

**1 प्ररूप सं. 3गडज**

[देखें नियम 10फ(7)]

**किसी पात्र विनिधान निधि द्वारा विनिधान प्रबंधक को संदत्त पारिश्रमिक के संबंध में सन्निकट कीमत के संबंध में धारा 9क के प्रयोजनों के लिए किसी लेखापाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट**

\*मैंने/हमने.....(2[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] सहित निधि प्रबंधक का नाम और पता) के निधि प्रबंधन कार्यकलाप और अन्य संव्यवहारों या सेवाओं, जिन्हें निधि प्रबंधक द्वारा पात्र विनिधानकर्ता निधि/निधियों को 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्व वर्ष के दौरान प्रदान किया गया है, के संबंध में लेखाओं और अभिलेखों की जांच कर ली है।

1. \*मेरी/हमारी राय में निधि प्रबंधक द्वारा निधि प्रबंधन कार्यकलाप या निधि प्रबंधक द्वारा किए गए संव्यवहारों या निधि/निधियों को दी गई सेवाओं के लिए जहां तक निधि प्रबंधक के अभिलेखों की\* मेरी/हमारी जांच से प्रतीत होता है, यथाविहित उचित सूचना और दस्तावेज रखे गए हैं।
2. धारा 9क के प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विशिष्टियां इस प्ररूप के उपाबंध में दी गई हैं। \*मेरी/हमारी राय में और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और\* मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपाबंध में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं।

\*\*हस्ताक्षरित

नाम: .....

पता: .....

सदस्यता सं.: .....

स्थान : .....

पता : .....

**टिप्पणियां :**

1. \*जो लागू न हों, उसे काट दें।
2. \*\*इस रिपोर्ट पर धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं।

**प्ररूप सं. 3गडज के उपाबंध**

**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क के प्रयोजनों के लिए दिए जाने के लिए अपेक्षित निधि प्रबंध क्रियाकलाप से संबंधित विशिष्टियां**

1. निधि प्रबंधक का नाम .....
2. पता .....
3. 2[स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] .....
4. निधि प्रबंधक के कारबार या क्रियाकलाप की प्रकृति .....
5. प्रास्थिति .....
6. आवासीय प्रास्थिति .....
7. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे  
(क) विनियम, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है .....
- (ख) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और तारीख .....
8. समाप्त हुआ पूर्ववर्ष .....

1. आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा 15.3.2016 से अंतःस्थापित।

2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

9. निर्धारण वर्ष .....
10. लेखा बहियों के अनुसार पात्र निधि/निधियों से प्राप्त पारिश्रमिक का संकलित मूल्य .....
11. निम्नलिखित ब्यौरों सहित, उन पात्र विनिधान निधियों की सूची, जिनके लिए निधि प्रबंधक ने निधि प्रबंध क्रियाकलाप किए हैं
- (क) अपतट निधि का नाम .....
- (ख) निधि के आवास का देश .....
- (ग) क्या निधि प्रबंधक, निधि का कोई कर्मचारी है हां/नहीं .....
- (घ) क्या निधि प्रबंधक, निधि से संबंधित व्यक्ति है हां/नहीं .....
- (ङ.) निधि प्रबंधक के माध्यम से किए गए क्रियाकलापों से निधि को पूर्ववर्ष के दौरान प्रोद्भूत या उद्भूत लाभ की रकम .....
- (च) (ङ.) में से वह रकम, जिसका निधि प्रबंधक अपने संबंधित व्यक्तियों सहित प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः हकदार है .....
12. प्रत्येक पात्र विनिधान निधि और किए गए प्रत्येक क्रियाकलाप की बाबत प्राप्त पारिश्रमिक की विशिष्टियां (यदि ऐसे क्रियाकलाप का पारिश्रमिक पृथकतः दिया गया है):
- (क) निधि का नाम और पता, जिसके लिए निधि प्रबंधक ने क्रियाकलाप किया है .....
- (ख) क्रियाकलाप का वर्णन .....
- (ग) क्रियाकलाप की बाबत प्राप्त या प्राप्य कुल रकम-
- (i) लेखा बहियों के अनुसार; .....
- (ii) सन्निकट कीमत को ध्यान में रखकर निधि प्रबंधक द्वारा यथासंगणित; .....
- (घ) सन्निकट कीमत अवधारित करने के लिए प्रयुक्त पद्धति [धारा 92ग(1) देखिए] .....
13. पात्र विनिधान निधि के साथ/की ओर से निधि प्रबंधक द्वारा किए गए किसी अन्य संव्यवहार की बाबत विशिष्टियां:
- (क) क्या निधि प्रबंधक ने कोई अन्य संव्यवहार किया है या पात्र विनिधान निधि को या निधि की ओर से कोई अन्य सेवा दी है, किंतु जो पूर्वोक्त में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं हो .....
- (ख) यदि हां, तो प्रत्येक निधि और प्रत्येक संव्यवहार या सेवा की बाबत निम्नलिखित ब्यौरे दें: .....
- (क) पात्र विनिधान निधि का नाम और पता, जिसके साथ संव्यवहार किया गया है या जिसको सेवा दी गई है .....
- (ख) संव्यवहार का वर्णन/सेवा की प्रकृति .....
- (ग) ऐसे संव्यवहार/सेवा के मद्दे संदत्त/प्राप्त या संदेय/प्राप्त रकम-
- ◆ लेखा बहियों के अनुसार; .....
- ◆ सन्निकट कीमत को ध्यान में रखकर निधि प्रबंधक द्वारा यथासंगणित .....
- (घ) सन्निकट कीमत के अवधारण के लिए प्रयुक्त पद्धति [धारा 92ग(1) देखिए]

\*\*हस्ताक्षरित

नाम : .....

पता : .....

स्थान : .....

तारीख : .....

1. **टिप्पण** : \*\*यह रिपोर्ट धारा 288 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित की जानी है।